आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021 / 107

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत धोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई</u>

<u>मुकदमा नम्बर :— 56 / 2021 (गोपालसिंह वगैरह बनाम किशनाराम वगैरह)</u>

निर्णय दिनांक :— 30.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.10.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम नाथपुरा स्थित भूमि हाल ख0न0 121, 128 / 36 कुल किता 2 कुल रकबा 6.04 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या-1 किशनाराम उर्फ रामकिशन का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 प्रत्येक को 1 / 12— 1 / 12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम जाना के स्थान पर ज्याना दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 30.10.2024 को जारी की गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर